117

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 105453

SUB TREASURY OFFICE

—1—

ट्रस्ट डीड

मैं **पूनम शर्मा** पत्नी श्री **अनिल कुमार शर्मा** निवासी सी0 254 सवर्ण नगरी ग्रेटर नोयडा जिला गौतमबुध नगर उत्तर प्रदेश द्वारा सचिव।

उक्त लेखपत्र में अंकन 1350/–रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

जो कि उपरोक्त व्यक्ति समाज के जन कल्याण हेतु निःस्वार्थ भाव से विभिन्न योजनाएं व कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक, संस्थाएं, अस्पताल, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, सर्वधर्म सद्भाव के अर्न्तगत धार्मिक व आध्यात्मिक अनुरक्षा के कार्य, धार्मिक संस्थाओ का जीर्णाद्वारा वृक्षारोपण, नागरिको का व्यक्तिगत विकास तथा उनके बीच प्रेम, आत्मा सम्मान व स्वाभिमान का बढावा देना, उनके व्यक्तिगत हितों को बाहर का देश व समाज को प्रगतिशील बनाना नैतिक–सामाजिक व राष्ट्रप्रेम के कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा एंव रोजगार के अवसर प्रदान करना, पुस्ताकालय वाचनालय की व्यवस्था करना आदि समाज के कल्याण के कार्य करना चाहते है और इस उददेश्य हेतु इस ट्रस्ट की स्थापना कर रहे है और उनमें से प्रत्येक ट्रस्टी ने फिलहाल 1100/– रू0 के हिसाब से 5500/– रू0 पॉच हजार पॉच सौ रूपये इस ट्रस्ट को अपनी ओर से योगदान दिया है और ये रूपये स्थाई रूप से ट्रस्ट को हस्तान्तरित कर दिये है और जिनका इस्तेमाल ट्रस्टीज नियमानुसार ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट के नाम सम्पत्ति आदि खरीदने व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए प्रयोग करेंगें। इस ट्रस्ट के सम्बन्ध पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

1. ट्रस्ट का नाम	:	वी0 एण्ड वी0 एजूकेशनल एंव वैलफेयर ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पूरा पता	:	भारद्वाज फार्म हाउस, गुड छप्पर रोड गंगोह सहारनपुर।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	समस्त भारत वर्ष

Secretary
V & V Educational Avam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 236346

-2-

4. ट्रस्ट के उद्‌देश्य

:

1. समाज में जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम एंव योजनाएं निःस्वार्थ भाव से नियमानुसार संचालित करना।
2. देश में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं जैसे इंजीनियरिंग, मैडिकल, डेन्टल, कम्प्यूटर, आर्टस, क्राफ्टस, म्यूजिक, पैन्टिग, माडलिंग, डांसिग, योगा स्वास्थय, शिक्षा आदि क्षेत्रो में स्थापित एंव संचालित करना।
3. प्राईमरी, सैकेण्डरी, मैनेजमेंट, टैक्नीकल, इंजीनियरिंग, मैडिकल कॉलेज व उच्च शिक्षा के लिये शैक्षणिक संस्थाए, बोडिंग हाउस स्थापित एंव संचालित करना।
4. शैक्षणिक अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थाए स्थापित एंव संचालित करना।
5. ट्रस्ट के नाम से भवन इत्यादि निमार्ण हेतु जमीन खरीदना या किराये-पर प्राप्त करना।
6. समाज के कल्याणार्थ समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर (पोलियो ड्राप्स, हेपेटाईटिस-बी टीकाकरण आदि निर्धन वर्ग के

Secretary
Educational Avam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 236347

TREASURY OFFICE 21 AUG 2016

बालक/बालिकाओ के लिए शिक्षा की व्यवस्था व अन्य कल्याणकारी योजनाएं आयोजित/संचालित करना।)

7. धार्मिक एंव अध्यात्मिक अनुरक्षा के अन्तर्गत सभी धर्मो के बीच सद्भाव कायम करते हुये सर्वधर्म सद्भाव के अन्तर्गत कार्य करना।
8. समस्त भारत के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में स्थित धार्मिक संस्थाओ का जीर्णोधार करना तथा दान एंव चन्दा, उपहार एंव वसीयत स्वीकार करना एंव उसे प्राप्त करना।
9. विभिन्न प्रकार की शैक्षणित प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी वृक्षारोपण एंव व्यक्तिगत विकास आदिकी व्यवस्था करना।
10. समस्त भारत की शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की सम्भावनांए तलाश कर, क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करना।
11. एक ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास करना, जहा व्यक्ति प्रेम, आत्म–सम्मान आदि के वातावरण में अपने स्वाभिमान एंव व्यक्तिगत को उभार कर

Secretary

Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 236348

देश एंव समाज को प्रगतिशील बनाने में अपना योगदान दे सके।

12. नैतिक एंव सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन/संचालन कर बालक/बालिकाओं व समाज के प्रत्येक को राष्ट्र प्रेम के पथ पर अग्रसर करना।
13. अशिक्षित व कमजोर वर्ग के व्यक्तिओं को शिक्षित करने का प्रयास करना एंव रोजगार के अवसर प्रदान करना।
14. समस्त भारत में पुस्ताकालय एंव वाचनालय की व्यवस्था एंव स्थापना करना।
15. ऐसे प्रत्येक कार्य करना जिसमें सर्व साधारण का भौतिक, मानसिक व सांस्कृतिक स्तर पर विकास हो सके।
16. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन/संचालन से होने वाली आय को जन कल्याणार्थ के कार्यो मे व्यय करना।
17. उपरोक्त कार्यक्रम/ उददश्यों को पूरा करने के लिये केन्द्र/राज्य/अर्द्वशासकीय निकायों/क्लब/बैंक/जनप्रतिनिधियों/जन

Secretary
V & V Educational Evam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 236349

TREASURY OFFICE

सामान्य से दान/अनुदान/ऋण/चन्दे प्राप्त करना तथा नियमानुसार ऐसे आवश्यक कार्य करना जो पर आवश्यक हो।

5. ट्रस्ट की सदस्यता :– ट्रस्ट में वर्ततान स्मृति पत्र के अनुसार छः फाउण्डर ट्रस्टी सदस्य होगें, जिनमें से एक उपरोक्त यह ट्रस्ट निष्पादित कर रहा है। श्रीमति सुनीता शर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा निवासी भारद्वाज फार्म हाउस, गंगोह, जिला सहारनपुर श्री अगम गौड पुत्र श्री अजय गौड, निवासी मकान नं0 1 सैक्टर–6 करनाल–उपाध्यक्ष श्रीमति नीलम गौड पत्नी श्री अजय गौड, निवासी बी–370, सिग्मा–1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, श्रीमति पूनम शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार शर्मा, निवासी सी–254, स्वर्ण नगरी, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर, अर्चित भारद्वाज पुत्र श्री अनिल कुमार सी–254 स्वर्ण नगरी, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर, श्रीमति आनन्दिता मिश्रा पत्नी श्री अंकित मिश्रा, बी– 371, सिग्मा–1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, को प्रस्ताव उसके स्थान पर नई नियुक्ति की गयी है, तथा वही व्यक्ति प्रबन्धकारिणी

Secretary
V & V Educations Avam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 236991

समिति में शामिल किये जायेगें जो 1100/–रूपये शुल्क अदा करेगा। ट्रस्टी सदस्यों का कार्यकाल आजीवन होगा। ट्रस्ट का सदस्य वही बन पायेगा, जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो तथा नियमानुसार प्रबन्धकारिणी समिति के एकमत हो सहमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जाम करा दिया हो, बन सकेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति : मृत्यु होने/पागल होने/किसी संगीत जुर्म में सजायाफता होने / दिवालिया होने / अनैतिक आचरण/स्वय त्याग पत्र देने/ ट्रस्ट का शुल्क अदा न करने एंव ट्रस्ट का अहित करने पर सदस्यता समाप्त मानी जायेगी, जिसके बारे में शेष सदस्य सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। यदि ट्रस्ट के कार्यकाल के मध्य प्रबन्धकारिणी समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उसके (रजिस्टर्ड इच्छा पत्र) द्वारा पूर्व नामित व्यक्ति या उसके परिवार का कानूनी उत्तराधिकारी प्रबन्धकारिणी समिति में शामिल कर लिया जायेगा।

Secretary

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 236350

7. ट्रस्ट के अंग :—

अ— प्रबन्धकारिणी समिति :—

1— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चयन :—

प्रबन्धकारिणी समिति में वर्तमान स्मृति पत्र के अनुसार चार सदस्य होंगे तथा प्रबन्धकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को वोट का अधिकार होगा। प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों श्रीमति सुनीत शर्मा — अध्यक्ष, श्रीमति पूनम शर्मा— सचिव, श्री अर्चित भारद्वाज— उपसचिव, नीलम गौड— कोषाध्यक्ष तथा श्रीमति आनन्दिता मिश्रा—सदस्य। प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल आजीवन होगा।

2— बैंठके :—

छः माह मे एक बार बुलाई जानी आवश्यक होगा। बैठके अध्यक्ष के निर्देश पर, सचिव द्वारा बुलायी जायेगी लेकिन किन्ही विशेष परिस्थितियों में 1/3 सदस्यों के समर्थन से कोई भी प्रबन्धकारिणी का सदस्य अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलाने के लिए बाध्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पडने पर अध्यक्ष किसी भी समय पर आकस्मिक बैठक बुला सकते है।

Secretary
V & V Educational And Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 236992

TREASURY OFFICE

—8—

3— सूचना :— प्रबन्धकारिणी सभा को किसी भी बैठक की सूचना सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक की दिनांक से कम से कम 10 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक होगी। विशेष बैठक के लिये सूचना यू0पी0सी0 के जरिये डाक से या फेक्स से भेजने पर सदस्य को प्राप्त हुई समझी जायेगी।

4— कोरम :— प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक के लिये 3/4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य कोरम मानी जायेगी।

5— रिक्त स्थानो की पूर्ति :— प्रबन्धकारिणी समिति के किसी भी पद के रिक्त होने पर सदस्यों का अधिकार होगा कि प्रबन्धकारिणी समिति के किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उसके द्वारा पूर्व में नामित पारिवारिक व्यक्ति या उसके परिवार का कानूनी उत्तराधिकारी समिति में शामिल कर लिया जायेगा। उपरोक्त दशा में रिक्त स्थान होने पर रिक्त स्थान की प्रतिपूर्ति रिक्त के दिनांक से एक माह के भीतर प्रस्ताव द्वारा की जानी आवश्यक होगी।

Secretary
V & V Educational Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 236994

—10—

प्राभूर राशि का ब्याज व शुल्क आदि से कर सकता है। किन्तु इस प्रकार जो प्राप्ति होगी उनको ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए विनियोग, इस्तेमाल, खर्चे व डील कर सकेगी, जैसे कि व ट्रस्ट के सर्वेत्तम हित में समझे।

ञ— प्रबन्धकारिणी समिति किसी भी दशा में अचल सम्पत्ति को नही बेच सकेगी। चल सम्पत्ति के बेचने व खरीदने के लिए प्रबन्धकारिणी समिति बहुमत से प्रस्ताव पास कर निर्णय ले सकेगा।

ट— ट्रस्ट की बैठक में प्रस्ताव पारित करना व गत बैठक की पुष्टि करना।

7— कार्यकाल :— प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो का कार्यकाल गठन के दिनांक से आजीवन होगा। यदि कोई पदाधिकारि अपनी मर्जी से त्याग पत्र देता है तो उसका कार्यकाल स्वत ही समाप्त हो जायेगा। तथा इस प्रकार रिक्त हुए स्थान पर यदि सभी बाकी बचे ट्रस्ट सर्वसम्पत्ति से रिक्त स्थान की पूर्ति का निर्णय प्रस्ताव पास कर लेते है तो नये पदाधिकारी की नियुक्ति ट्रस्ट की धारा —5 के अनुसार की जायेगी। ट्रस्ट की प्रबन्धसमिति का निर्णय अन्तिम होगा।

Secretary
V & V Educational Avam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 236995

ब–साधारण सभा :–

1–साधारण सभा का गठन :– ट्रस्ट का प्रत्येक सदस्य सदस्य साधारण सभा का सदस्य माना जायेगा।

2– बैठक : साधारण सभा की बैठक सामान्यतः वार्षिक हुआ करेगी, यदि अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष उचित समझते हुए ट्रस्ट हित, जनहित में बैठक किसी भी समय आयोजित कर सकेंगे।

3– कोरम :– साधारण सभा की किसी भी सभा के लिए कम से कम 3/4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जायेगी।

4– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एंव कर्तव्य :–

1– संरक्षक :– संरक्षक का पद मात्र सम्मान व मानद रूप में रखा गया है, ताकि उनके सुझाव एंव मार्गदर्शन में ट्रस्ट अपने आदर्श कार्यो को पूरा कर सके। अतः संरक्षकगण समय समय पर अपना बहुमूल्य समय / सुझाव / विचारो से ट्रस्ट को अनुग्रहित करते रहेगें। किन्तु संरक्षक को मताधिकार नही होगा। संरक्षक की नियुक्ति करने व कार्यकाल तय करने काक अधिकार अध्यक्ष को होगा।

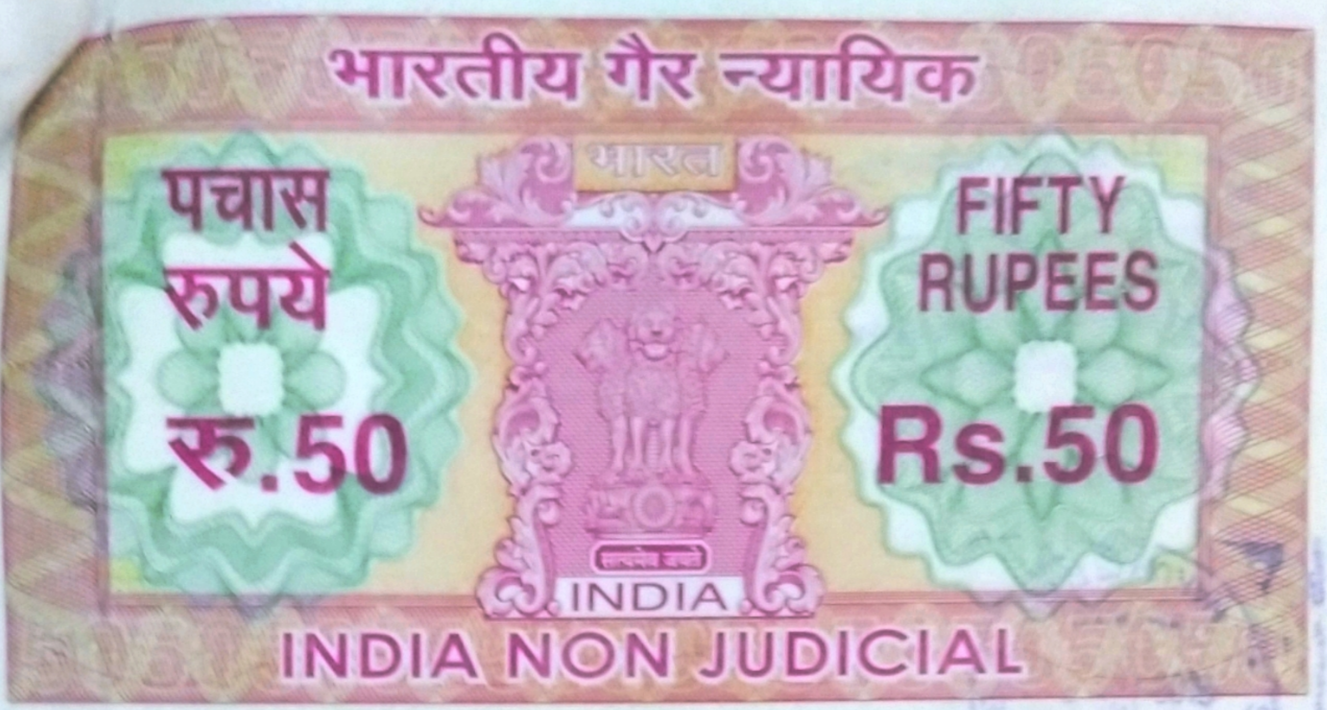

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 238084

2– अध्यक्ष :– ट्रस्ट के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह संस्था की होने वाली किसी भी बैठक की अध्यक्षता करें। बैठक का संचालन कराये। प्राप्त सुझावों पर विचार/आनुमोदन पास कराये तथा ट्रस्ट के कोष/फण्ड के भारतीय रिर्जव बैंक के अधीन संचालित होने वाले किसी भी बैंक में सचिव/कोषाध्यक्ष में से किसी एक एंव अपने हस्ताक्षरो से संचालित कराये। परन्तु अध्यक्ष के या (उसके द्वारा नामित विश्वास पात्र व्यक्ति) के हस्ताक्षर अनिवार्य होगे। यदि प्रबन्धकारिणी में पदो के दौबारा सृजन की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों की विशेष बैठक बुलाकर सर्वसम्पत्ति से निर्णय ले सकेगा। सर्वसम्पत्ति से निर्णय ले सकेगा। सर्वसम्पत्ति न होने की स्थिति में बहुमत से निर्णय लिया जा सकेगा।

3– उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्यो का सम्पादन अध्यक्ष की पूर्वानुमति से करना।

4– सचिव :–

1. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव को कार्यन्वित करना।
2. छः माह में एक बार प्रबन्धकारिणी की बैठक बुलाने और उसकी तिथि समय, स्थान और ऐजेन्डे की लिखित सूचना

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 238085

प्रत्येक सदस्य को बैठक से तीन दिन पूर्व देना व विशेष बैठक के लिए सूचना 2 घंटे पूर्व देना।

3. बैठक का एजेन्डा, मीटिंग कार्यवाही आदि लिखना और उसे सभी अथवा अगली बैठक अनुमोदित करना।
4. ट्रस्ट की ओर से किये जाने वाले सभी आवश्यक पत्र व्यवहार करना।
5. ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा सुनिश्चित ढंग से रखना, और उसे प्रत्येक वर्ष में वार्षिक सभा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।
6. ट्रस्ट की सुरक्षा एंव समस्त सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
7. ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति प्रत्येक वाद में संस्था की ओर से अथवा प्रतिवादी के रूप मे पैरवी करना।
8. ट्रस्ट के अन्तर्गत चलने वाले प्रत्येक प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रोफेसेर्स, टीचर्स, इन्सट्रक्टर्स व प्रत्येक प्रकार के स्टाफ की नियुक्ति करना, उन्हे निलम्बित करना व उन्हे पदमुक्त करना व वेतन आदि की भुगतान करना व विद्यार्थियों को सकोलरशिप देना।
9. ट्रस्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति करना/निलम्बित करना, पद मुक्त करना। ट्रस्ट के हित में कार्य करना। परन्तु प्रबन्धकारिणी द्वारा पहले अनुमोदन प्राप्त करना तथा ट्रस्ट को कोष/फण्ड भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन संचालित होने वाले

Secretary
V & V Educational Avam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 238086

किसी भी बैंक में अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष व अपने हस्ताक्षरो से सचालित करना।

5— उपसचिव :— सचिव की अनुपस्थिती में उनके पद के समस्त कार्यो का संचालन करना तथा सचिव को उनके कार्यो में सहयोग देना।

6— कोषाध्यक्ष :—

1. कोषाध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की अमानत/रकम आदि को सुरक्षित रखे।
2. आकस्मिक खर्चे एंव आवश्यकता अनुसार ट्रस्ट के हित में कोषाध्यक्ष अपने पास दस हजार रूपये तक की नकद धनराशि रख सकेगें व शेष धनराशि ट्रस्ट के बैंक खाते में ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा (उसके द्वारा नामित विश्वास पत्र व्यक्ति) तथा सचिव/कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा संचालित करायेंगे तथा पॉच सौ रूपये से अधिक की धनराशि का व्यय करने पर बिल व हस्ताक्षर सहित बाउचर का होना जरूरी होगा।

7— लेखानिरीक्षक :— ऑडिटर — समय समय पर ट्रस्ट के आय व्यय की जॉच करना तथा ऐसी जॉच की आख्या समय सयम पर बैठक में प्रस्तुत करना यदि किन्ही परिस्थितियों में प्रबन्धकारिणी समिति ऑडिटर की

Secretary
V & V Educational Avam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 238087

कार्यवाही से अहसमत हो तो ऐसी स्थिति में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा।

9– ट्रस्ट का कोष :–

ट्रस्ट का कोष/फण्ड भारतीय रिर्जव बैंक के अधीन संचालित होने वाले किसी भी बैंक में रखा जायेगा। जिसका खाता संचालन ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा (उसके द्वारा नामित विश्वास पात्र व्यक्ति) तथा सचिव/कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षरो द्वारा रकम का लेन–देन बैंक से किया जा सकेगा।

10– ट्रस्ट के नियमो व विनियिमों में संशोधन प्रक्रिया :–

ट्रस्ट के नियमों में यदि किसी संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता हो तो इसके लिये प्रबन्धकारिणी समिति की सर्वसम्पत्ति द्वारा पारित प्रस्ताव के उपरान्त संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष :–

प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विगत पॉच वर्षो में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, बौद्दिक एंव ज्ञान विज्ञान पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम जनसहभागिता के अन्तर्गत नियमानुसार आयोजित/संचालित किये जा रहे है। ट्रस्ट अपनी ब्रान्च

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 238089

14 OCT 2019

2. प्रमोटर्स ट्रस्टीकण ने 1100/– रू0 के हिसाब से जो कि 5500/– रू0 ट्रस्ट को दिये है व स्थाई रूप से दिये है ट्रस्ट फण्ड में हस्तान्तरित किये है, का किसी भी सूरत में भी उन्हें काबिल वापसी नही होगे ओर उन पर कोई ब्याज देय नही होगा।
3. ट्रस्टीकण अपनी सर्वोत्तम काबलियत से ट्रस्ट के हितो के लिये कार्य करेगें, किन्तु किसी भी सूरत में ट्रस्ट को किसी भी नुकसान, या देनदारी के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरीदायी नही होगे।
4. यह ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट है। यदि किसी भी कारण ट्रस्ट अपने उद्देश्य में विफल हो जाता है अथवा ट्रस्ट के उद्देश्य प्राप्त करना असम्भव हो जाता है तो ऐसी दशा में ट्रस्ट फण्ड मौजूदा ट्रस्ट के समान उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और ट्रस्ट की सम्पत्तियां किसी समान उद्देश्यो वाले ट्रस्ट को ही हस्तान्तरित होगी।
5. ट्रस्ट के अन्तर्गत जो भी शैक्षणिक संस्थाए स्थापित की जयगा व चलायी जायेगा, उनके संचालन व मैनेजमेन्ट के लिए ट्रस्टीकण अलग से उपसमिति बनायेगे, जिनके से मानद सदस्यता भी आमंत्रित की जा सकती है, किन्तु उस ट्रस्ट के ट्रस्टीकण स्वतः ही ऐसी संस्थाओ के मैनेजिंग सदस्य होगें।

Secretary
V & V Educational Avam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 238090

15– ट्रस्ट की सम्पत्ति :– वर्तमान में ट्रस्ट के पास 5500/–रू0 जमा है। इसके अलावा इस समय ट्रस्ट के पास कोई चल–अचल सम्पत्ति नही है।

16– प्रतिबन्धों की बाध्यता :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट का समय समय पर नवीनीकरण (यदि आवश्यक हो तो) कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समीति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसुचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्ष परिषद/कौंसिल, फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिके एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

Secretary
V & V Educational Awam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

1. संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानों मथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भतते नही दिये जायेंगे।
2. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेंगी और उन्हें साहयता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय/समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
4. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
5. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अर्न्तगत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेंगी।
6. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

16. यह कि यह ट्रस्ट दिनांक 21.07.2011 को उपनिबन्धक कार्यालय, नकुड में पंजीकृत हो चुका है, जो बही नं0 4 के जिल्द संख्या 130 के पृष्ठ संख्या 153 से 186 में दस्तावेज नं0 52 में दिनांक 22.07.2011 को पंजीकृत है बही न0 4 जिल्द 136 के पृष्ठ संख्या 125 से 170 दस्तावेज न0 18 दिनांक 05.03.2014 कुछ प्रस्तावों के पारित होने के कारण यह संशोधित ट्रस्ट पुनः पंजीकृत कराया गया था। आज पुनः संसोधित ट्रस्ट मे दो नये सदस्यो की संख्या को बढ़ कर 8 सदस्य करने हेतु पुनः ट्रस्ट पंजीकृत कराया जा रहा है।

प्रस्तावः–

श्रीमति पूनम शर्मा ने प्रस्ताव रखा कि ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य विस्तार के लिए और अधिक सदस्यों की आवश्यकता है जबकि ट्रस्ट की धारा–5 (ट्रस्ट की सदस्यता) के अनुसार ट्रस्ट में वर्तमान में कुल 6 सदस्य है। अतः इनकी संख्या 8 कर दी जाये। इसके लिए ट्रस्ट की धारा–6(प्रबन्धकारी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य) की उपधारा–ण के अनुसार ट्रस्ट की धारा– 5 मे परिवर्तन कर ट्रस्ट में कुल 8 सदस्य करने में ही ट्रस्ट का हित है। सभी उपस्थित सदस्यों ने प्रस्ताव पर गहन चर्चा की तथा ट्रस्ट की धारा–7 में बदलाव का प्रस्ताव सर्वसम्पत्ति से पास हुआ । तथा यह भी प्रस्ताव किया कि ट्रस्ट में 7 वें व 8वे सदस्य के लिए क्रमंशः श्री अभिनव शर्मा पुत्र श्री प्रदीप कुमार शर्मा व अन्नत गौड पुत्र श्री अजय कुमार गौड को शामिल कर लिया जाये। इस पर उपस्थित सभी सदस्यों ने इस पर हर्ष व्यक्त किया तथा दोनो नये सदस्यों को ट्रस्ट की धारा–5 के अनुसार नया सदस्य चुन लिया गया। इस प्रकार अब भविष्य में ट्रस्ट में कुल 8 सदस्य होंगें। जो निम्न है जो नये सदस्य बनाये गये है । उनकी 1100/–1100/– रूपये प्रत्येक से सदस्यता शुल्क ट्रस्ट के कोष में जमा करा दिया गया है।

इस प्रकार ट्रस्ट की प्रबन्धसमिति की सूची वर्ष 2018–19 निम्नवत् है।

Secretary
V & V Educational Area Welfare Society
Bharatwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

वी० एण्ड वी० एजूकेशनल एवं वैलफेयर ट्रस्ट

भारद्वाज फार्म हाउस गुड छप्पर रोड, गंगोह सहारनपुर।

प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2018-19

क्र०सं०	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद
1	श्रीमति सुनीत शर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा	भारद्वाज फार्म हाउस गंगोह सहारनपुर।	अध्यक्ष
2	अगम गौड पुत्र श्री अजय गौड	म0न01 सैक्टर-6 करनाल	उपाध्यक्ष
3	श्रीमति पूनम शर्मा पत्नी अनिल कुमार शर्मा	सी0-254, स्वर्ण नगरी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर	सचिव
4	अर्चित भारद्वाज पुत्र अनिल कुमार शर्मा	सी0-254, स्वर्ण नगरी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर	उपसचिव
5	श्रीमति नीलम गौड पत्नी अजय गौड	370, सिग्मा-1 ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर	कोषाध्यक्ष
6	श्रीमति आनन्दिता मिश्रा पत्नी श्री अंकित मिश्रा	370, सिग्मा-1 ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर	सदस्य
7	अभिनव शर्मा पुत्र श्री प्रदीप कुमार शर्मा	बी0 371 सिग्मा-1 ग्रेटर नोयडा जिला गौतमबुद्ध नगर	सदस्य
8	अन्नत गौड पुत्र श्री अजय कुमार गौड	370, सिग्मा-1 ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर	सदस्य

साक्षी-1 सुनील कुमार इन्द्र

7088193616

नि० आमका

जि० गौतमबुद्धनगर

Secretary
V & V Educational Avam Welfare Society
Bhardwaj Farm House, Gangoh
Saharanpur-247341

लेखतिथि - 25.10.2018

साक्षी-2

ILAM CHAND SAINI
(Advocate)
Tehsil Court Nakur (SRE)
Regn No. [illegible]